दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,वाणिज्य विभाग द्धारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/0593 दिनांक: 08.10.2025

प्रति

प्लेक्सकॉन्सिल के सभी सदस्य /

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया.

प्लेक्सकॉन्सिल से नमस्कार!

विषय: मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पीपी सामग्री हेतु आईएस 10951:2020 (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश के कार्यान्वयन/विस्तार पर अंतिम इनपुट मांगे गए

यह विषय-वस्तु के संबंध में डीसीपीसी कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी को संदर्भित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मोल्डिंग और एक्सट्रूज़न के लिए पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) सामग्री हेतु गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (आईएस 10951:2020) का कार्यान्वयन/विस्तार वर्तमान में परीक्षणाधीन है।

पूर्व में हुए परामर्शों के आधार पर, अंतिम टिप्पणियां/इनपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तीन सूचियां साझा की जा रही हैं:

- 32 पीपी ग्रेडों की सूची, जिनके लिए बीआईएस द्वारा विदेशी उत्पादकों को पंजीकरण प्रदान किया गया है (32 ग्रेड), तथा ये ग्रेड घरेलू उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे, जबिक विदेशी बीआईएस-पंजीकृत उत्पादकों से आयात किया जाएगा।
- 72 पीपी ग्रेडों की सूची जो घरेलू स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं;
- 24 पीपी ग्रेड की सूची जो भारतीय मानक 10951 के अंतर्गत नहीं आते हैं: 2020;

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डाउनलोड के लिए उपलब्ध दस्तावेज़ https://membership.plasticsepc.org/mails_images/20251008053650.xlsx में सूची देखें और प्राथमिकता के आधार पर 10 अक्टूबर, 2025 (दोपहर 12 बजे) तक अपने इनपुट/टिप्पणियां प्रदान करें।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल